झारखण्ड सरकार
जल संसाधन विभाग

पत्रांक :– 5/ले०सा०–06–11/2019 ज०सं०– 07/10-20 डा०ज०/ राँची, दिनांक 27.06.19

प्रेषक,

अरूण कुमार सिंह
सरकार के अपर मुख्य सचिव

सेवा में,

महालेखाकार,
झारखण्ड,
पो०–हिनू, राँची।

द्वारा :– आन्तरिक वित्तीय सलाहकार।

विषय :– सचिवालय अन्तर्गत विभिन्न कार्यालयों के लिये **Computer** उपकरण, प्रिंटर, स्कैनर, लैपटॉप इत्यादि के क्रय हेतु रू० 20.89179 लाख (रूपये बीस लाख नवासी हजार एक सौ उन्नासी) मात्र की प्रशासनिक स्वीकृति के सम्बन्ध में।

आदेश–स्वीकृत।

जल संसाधन विभाग में सचिवालय अन्तर्गत विभिन्न कार्यालयों के लिये Computer उपकरण, प्रिंटर, स्कैनर, लैपटॉप इत्यादि के क्रय हेतु रू० 20.89179 लाख (रूपये बीस लाख नवासी हजार एक सौ उन्नासी) मात्र की प्रशासनिक स्वीकृति प्रदान की जाती है।

2. सचिवालय अन्तर्गत विभिन्न कार्यालयों के लिये Computer उपकरण, प्रिंटर, स्कैनर, लैपटॉप इत्यादि के क्रय से संबंधित विवरणी परिशिष्ट–I पर संलग्न है।
3. क्रय किये जाने वाले उपकरणों की राशि का आकलन GeM पोर्टल पर उपलब्ध विशिष्टि एवं दर के आलोक में किया गया है।
4. इस कार्य पर होने वाला व्यय मुख्य शीर्ष 4701 – मध्यम सिंचाई पर पूंजीगत परिव्यय, उप मुख्य शीर्ष –80 – सामान्य, लघु शीर्ष 796 – जनजातीय क्षेत्र उपयोजना, उपशीर्ष – 70 – ई–गर्वनेन्स विस्तृत शीर्ष–07–अन्य व्यय–59– अन्य व्यय, विपत्र कोड – 49S-4701-80-796-70-07-59 के अन्तर्गत विकलनीय होगा।
5. इस राशि की निकासी हेतु निकासी एवं व्ययन पदाधिकारी कार्यपालक अभियंता, जल पथ प्रमण्डल, राँची/अवर सचिव–सह–निकासी एवं व्ययन पदाधिकारी, जल संसाधन विभाग, झारखण्ड, राँची तथा मुख्य अभियंता, जल संसाधन विभाग, राँची एवं अपर मुख्य सचिव, जल संसाधन विभाग, झारखण्ड, राँची नियंत्री पदाधिकारी होंगे।
6. इसके कार्यान्वयन में विभाग द्वारा समय–समय पर दिये गये निदेशों एवं अन्य विहित प्रक्रियाओं का सम्यक रूप से पालन करना अनिवार्य होगा।
7. राशि का आवंटन किसी भी स्थिति में बजट उपबंध के अन्तर्गत होगा।
8. राशि की निकासी वित्त विभाग की परिपत्र सं०–2561 दिनांक 17.04.98 एवं समय–समय पर निर्गत अन्य परिपत्रों के अधीन संबंधित कोषागार से की जायेगी।
9. झारखण्ड कोषागार संहिता के नियम–174 का अनुपालन दृढ़ता से किया जाएगा।
10. राज्यादेश के प्रारूप पर आन्तरिक वित्तीय सलाहकार की सहमति प्राप्त है।
11. प्रस्ताव पर अपर मुख्य सचिव, जल संसाधन विभाग, झारखण्ड, राँची का अनुमोदन प्राप्त है।
12. इसे आन्तरिक वित्तीय सलाहकार के द्वारा महालेखाकार झारखण्ड, पो०–हिनू, राँची को संसूचित किया जाए।

झारखण्ड राज्यपाल के आदेश से

27.6.19

(अरूण कुमार सिंह)
सरकार के अपर मुख्य सचिव

E:\विकास शाखा\Sanlekh\E-Governance - 2018-19.doc

पत्रांक :– 5/ले०सा०–06–11/2019 ज०सं०– 07/19-20 यो०अ० /राँची, दिनांक 27.06.19

प्रतिलिपि :– आन्तरिक वित्तीय सलाहकार, जल संसाधन विभाग, राँची को दो अतिरिक्त मूल प्रतियों के साथ महालेखाकार, झारखण्ड, राँची को संसूचनार्थ/अपर मुख्य सचिव, योजना –सह– वित्त विभाग (योजना प्रभाग), झारखण्ड सरकार को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्रवाई हेतु प्रेषित।

27.6.19

(सत्येन्द्र नारायण उपाध्याय)
सरकार के संयुक्त सचिव

पत्रांक :– 5/ले०सा०–06–11/2019 ज०सं०– 07/19-20 यो०अ० /राँची, दिनांक 27.06.19

प्रतिलिपि :– कोषागार पदाधिकारी, डोरण्डा कोषागार, डोरण्डा, राँची को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्रवाई हेतु प्रेषित।

27.6.19

(सत्येन्द्र नारायण उपाध्याय)
सरकार के संयुक्त सचिव

पत्रांक :– 5/ले०सा०–06–11/2019 ज०सं०– 07/19-20 यो०अ० /राँची, दिनांक 27.06.19

प्रतिलिपि :– अपर मुख्य सचिव, जल संसाधन विभाग, झारखण्ड/उप सचिव (अभि०), जल संसाधन विभाग, राँची को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्रवाई हेतु प्रेषित।

27.6.19

(सत्येन्द्र नारायण उपाध्याय)
सरकार के संयुक्त सचिव

पत्रांक :– 5/ले०सा०–06–11/2019 ज०सं०– 07/19-20 यो०अ० /राँची, दिनांक 27.6.19

प्रतिलिपि :– मुख्य अभियंता (मो०), राँची/मुख्य अभियंता, जल संसाधन विभाग, राँची/वेब सूचना प्रबंधक, जल संसाधन विभाग, राँची को विभागीय वेबसाईट पर अपलोड करने हेतु/ ई० सुरेश प्रसाद भगत, कार्यपालक अभियंता, योजना एवं मोनिटरिंग प्र०–3, जल संसाधन विभाग, राँची को Online स्वीकृत्यादेश निर्गत करने हेतु /कार्यपालक अभियंता, जलपथ प्रमण्डल, राँची को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्रवाई हेतु प्रेषित।

27.6.19

(सत्येन्द्र नारायण उपाध्याय)
सरकार के संयुक्त सचिव

पत्रांक :– 5/ले०सा०–06–11/2019 ज०सं०– 07/19-20 यो०अ० /राँची, दिनांक 27.06.19

प्रतिलिपि :– मुख्यमंत्री के प्रधान सचिव/माननीय मंत्री, जल संसाधन विभाग, झारखण्ड के आप्त सचिव को सूचनार्थ प्रेषित।

27.6.19

(सत्येन्द्र नारायण उपाध्याय)
सरकार के संयुक्त सचिव